स्मरण –पत्र चतुर्थ

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.11(7)मो. / राज. सम्पर्क ट्यूर / आईसीडीएस / 17 / 197410-760 जयपुर, दिनांकः 15/11/18

1. समस्त संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय (State Level Officers)।
2. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (District Level Officers) ।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (Block Level Officers) ।

विषयः–दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स में अंकित करने बाबत।
प्रंसगः–निदेशालय के पूर्व आदेश 60025 दिनांक 17.04.18 एवं दिनांक 15.06.18 एवं 140550–904 दिनांक 03.08.18 एवं 168264–613 दिनांक 17.09.18

विषयान्तर्गत एव प्रासांगिक प्रकरण में प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश दिनांक 08.04.15 तथा दिनांक 15.03.2017 एवं तदूपरान्त जारी निर्देशों के अनुसरण में विभागीय अधिकारियो के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर सभी राज्यस्तरीय अधिकारियों, उप निदेशक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (Target) उनके सम्मुख अंकित कर दिये गये है।

लेकिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा माह अक्टूबर, 2018 तक भी निर्धारित समयावधि में दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के तय लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति ट्यूर मॉडूल्स पर न्यून / नगन्य अंकित की गई है जो कि गम्भीरता एवं राज्यादेश की अनदेखी व अवहेलना करने का विषय है। प्रशासनिक सुधार (टाइमस) विभाग द्वारा उनके पत्र दिनांक 30.10.18 द्वारा उक्त न्यून प्रतिशत दर्ज क्रियानवति को गंभीरता से लेते हुए दोषी के विरूद्ध अनुसानात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

अतः सभी विभागीय अधिकारियों को पुनः हिदायत देते हुए निर्देश दिये जाते है कि उन्हें आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप माह नवम्बर 2018 तक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दौरे, निरीक्षण इत्यादि कर उनकी सूचना तय समयानुसार राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपने आई.डी. में अनियवार्यतः अंकित करें। अन्यथा निर्देशो की अवहेलना करने को गंभीरता से लिया जाकर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ कर दी जावेगी। साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधिनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयों (CDPOs) के साथ समीक्षा बैठक कर पालना सुनिश्चित कराये। यदि इनके द्वारा तय समय अनुसार शतप्रतिशत क्रियान्विति की सूचना संपर्क पोर्टल पर अंकित नही की जाती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को यथा समय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(सुषमा अरोडा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.11(7)मो. / राज. सम्पर्क ट्यूर / आईसीडीएस / 17 19761-762 जयपुर, दिनांकः 15/11/18
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(रामावतार मीणा–प्रथम)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)

Destop/tour/letter Rajsthan smapark